न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 42 / 2023 (उदयपुर डिक्री)

पुनीया उर्फ पूना पिता वरदा जी भील, निवासी चोकडिया, उपला फलां, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. वाला पिता मंगला भील, निवासी चोकडिया, उपला फलां, मृतक के बजाय :–

1 / 1. नारायण पिता वाला भील, निवासी चोकडिया, उपला फलां, तहसील गिर्वा

1 / 2. मदन पिता वाला भील, निवासी चोकडिया, उपला फलां, तहसील गिर्वा

1 / 3. मांगीलाल पिता वाला भील, निवासी चोकडिया, उपला फलां, तहसील गिर्वा

2. श्रीमती थावरी पुत्री मंगला भील, निवासी कालीवास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
3. श्रीमती नानी बाई पुत्री मंगला भील, निवासी पई, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
4. केसिया उर्फ केसा जी भील, निवासी चोकडिया, उपला फलां, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा दिनांक
03–12–2001 प्रकरण संख्या 382/2001

———::———

उपस्थित (वक्त बहस) :– 1– श्री नारायणलाल छापरवाल अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री गोपालसिंह चौहान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्टगण
3– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक रे. सं. 5

———::———

निर्णय दिनांक 19–10–2023

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम उन्दरी खुर्द, तहसील गिर्वा में आराजियात कुल किता 20 रकबा 4.3900 हैक्टर भूमि स्थित है, जो वादीगण एवं प्रतिवादीगणों के पूर्वजों [illegible]ारी की पुश्तैनी भूमि होकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने आपसी विभाजन कर रख[illegible] एवं मौके पर अपने अपने हिस्से पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:01:10 IST
Reason: SelfAttested

काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त भूमि प्रतिवादीगण की आवंटन शुदा एवं क्रय शुदा नहीं है। अतः वादीगण वाद स्वीकार कर वादी एवं प्रतिवादीगण को विवादित आराजियात का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अंकन कराया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 03–12–2001 से वादीगण का वाद स्वीकार कर वादीगण को 1/2 हिस्से का एवं प्रतिवादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 06–06–2023 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, जिस पर उनके अधिवक्तागण उपस्थित हुए। अभिभाषक अपीलान्ट व अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गयी, जिससे शामिल पत्रावली किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री कानूनी प्रक्रिया के विपरीत है। उक्त भूमि कभी भी मंगला पिता खुमा के खातेदारी की नहीं रही, न ही पुश्तैनी भूमि है, फिर भी प्रशासन गांव के संग अभियान में रेस्पोन्डेन्ट की मिली भगत से अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 03–12–2001 को डिक्री जारी कर दी, जिसकी जानकारी अपीलान्ट/प्रार्थी को दिनांक 22.04.2002 को पटवारी से सम्पर्क करने पर हुई। दिनांक 10–05–2022 को नकले प्राप्त होने पर अपील प्रस्तुत कर दी गयी है। अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर अवधि शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब देते हुए निवेदन किया कि विवादित आराजियात खुमा जी होकर पुश्तैनी भूमि है। खुमा जी के दो पुत्र वरदा व मंगला हुए। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया है, जो विधि सम्मत है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि अपील करीब 22 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, जो मयाद गुजरने के वर्षो बाद प्रस्तुत होने से पोषणीय नहीं है। अतः अपील मात्र इसी आधार पर खारिज की जावे।

हमने उक्त आवेदन पर उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने यह अपील अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03–12–2001 के विरुद्ध दिनांक 06–06–2023 को इस न्यायालय में

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:01:10 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत की है, जबकि अपील की मियाद 02–02–2002 तक ही थी अर्थात यह अपील करीब 21 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है एवं इसके लिए मात्र कारण यह बताया कि दिनांक 22–04–2022 को जब पटवारी हल्का से सम्पर्क किया जो उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। अपीलान्ट द्वारा 21 वर्षो से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत अपील के लिए जो कारण बताया गया है वह न तो उचित प्रतीत होता है एवं न ही इतने अधिक विलम्ब के लिए कोई पर्याप्त कारण प्रतीत होता है, जबकि देरी से प्रस्तुत अपील में मामले में प्रत्येक दिन की देरी को स्पष्ट किया जाना आवश्यक होता है। तद्नुसार अपील बेरून मयाद होने से इसी स्तर पर खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 03–12–2001 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 19–10–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:01:10 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.** .....

पुनिया उर्फ पूना पिता वरदा भील, निवासी चोकडिया, उपलां फलां, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर बनाम **वाला पिता मंगला भील मृतक के बजाय नारायण पिता वाला, निवासी चोकडिया, उपलां फलां, तहसील गिर्वा व अन्य**

अपील नं.....**42 / 2023**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी .....गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....03**.....माह.....**12**.....**2001**.....

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**19**.....माह.....**10**.....सन् **2023** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री नारायणलाल छापरवाल**.....मिनजानिब अपीलान्ट व..... **श्री गोपालसिंह चौहान**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 03–12–2001 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये ..... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**19**.....माह.....**10**.....**2023** को जारी किया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:01:10 IST
Reason: SelfAttested